App. A
Crim - I

FORM No. III

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

# न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

**बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ( राजस्थान )**

(1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा** मुकाम **बनेड़ा**

लोभूलाल पुत्र नन्दलाल बनाम नन्दलाल पुत्र मोहनदास

किस्म मुकदमा 212 RT Act नं. 237 सन् 2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 02/12/22 | वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act विरूद्ध विपक्षीगण पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण ~~की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक ........ को पेश हो।~~ को सम्मन नोटिस जरिये Regd. AD भेजे जाए।<br>वकील प्रार्थी ने मामला आवश्यक प्रकृति का होने से एकपक्षीय बहस अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु सुनने का निवेदन किया।<br>वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली मे प्रार्थनापत्र व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रति./विपक्षी सं. 1 [illegible] सरहद गणेशपुरा पटवार [illegible] बनेड़ा के खाता सं. 167 [illegible] 433 रकबा .7587 हेक्टेयर [illegible] विपक्षी सं. 2 के 1 पुत्र व 1 पुत्री (प्रार्थी व प्रति. सं:2) विधिक वारिसान है व जन्म से ही उनका उपरोक्त भूमि मे हक हिस्सा निहित है परन्तु वि. सं. 1 द्वारा | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Singh Bhichher
Date: 2023.01.04 17:24:22 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | उपरोक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के बिना जानकारी के व बिना सहमति के विपक्षी सं. 3 को जरिये Regd. विक्रय पत्र 15/11/22 बेचान कर दी है जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 को अपूर्णीय क्षति होगी एवं उनके हक हिस्से की जमीन बेचने का अधिकार अप्रार्थी सं. 1 को नही है इसलिये यह विक्रय पत्र शुरु से ही अवैध है। | |
| | वकील प्रार्थी ने बताया की प्रार्थी के दादा मोहनदास द्वारा यह जमीन खरीदी गयी थी तथा इसका नामान्तरण प्रार्थी के पिता नन्दलाल के नाम श्रीमान न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के प्रकरण सं. 19/2017 के आदेश दि. 24.08.2022 की पालना मे नामान्तरण सं. 678 दि. 09/11/22 को खोला गया था। जिसके तुरंत बाद 15/11/22 को इसे विक्रय किया गया तथा अगर इस विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के नाम पर Mutation खुलता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी और वाद विवाद मे बढ़ोतरी होगी। अतः [illegible] उपरोक्त आरजी यत[illegible] स्वीकार व मौके की यथा[illegible] रखने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के SLP (civil) No. 13653/2021 की नजीर पेश की जिसमे | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Singh Bhichher
Date: 2023.01.04 17:24:22 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

(3)

अज अदालत मोहन लाल बैरागी मुकाम

बनाम बाबू लाल बैरागी

किस्म मुकदमा 212 R.T.Act नं. 237 सन [illegible]

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | बताया गया की सिर्फ legal necessity में ही पिता अपनी Ancestral Property को Alienate कर सकता है।<br>जबकि विक्रय पत्र दि. 15/11/84 में कही भी legal necessity का हवाला नही दिया गया है व यह भी बताया कि उपरोक्त बेचान से मेरे परिवार को कोई उजर एतराज नही होगा।<br>वकील प्रार्थी की बहस, पत्रावली में प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज व Hon'ble Supreme Court की नजीर को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है एवं अगर रिकार्ड की यथास्थिति नही बरकरार की जाती है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी।<br>अतः यह आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात में मौके की व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखे। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Singh Bhichher
Date: 2023.01.04 17:24:22 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज (5) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | पत्रावली वास्ते देखने तामिल दि. 02/01/23 को पेश हो। <br> (हस्ताक्षर) 02/12/22 | |
| 2/1/23 | पत्रावली पेश हुई। वादी/वकीलवादी अनुपस्थित। पत्रावली में पूर्व पेशी पर वकील वादी ने मामला प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से एकपक्षीय पक्ष सुनकर पत्रावली में स्थगन आदेश हेतु निवेदन किया था तथा स्थगन आदेश देने के साथ मूल पत्रावली व प्रार्थना पत्र में नोटिस/Summon जरिये Register AD हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु वकील वादी/प्रार्थी ने आज दिनांक तक नोटिस Register AD से पेश नहीं किये हैं। एवं न ही स्वयं/प्रार्थी उप० जिससे यह प्रतीत होता है कि मूल प्रकरण व संलग्न प्रार्थना पत्र का उद्देश्य सिर्फ स्थगन आदेश लेने हेतु ही था। क्योंकि स्थगन आदेश के पश्चात न तो Register AD से नोटिस पेश किये गये न ही आज दिनांक को वकील वादी/प्रार्थी या वादी उप० हुये। अतः प्रार्थना पत्र में पूर्व दिनांक 02/12/22 द्वारा जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है [illegible] आम हाजरी/ [illegible] किया जाता है। <br> (हस्ताक्षर) 2/1/23 | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Singh Bhichher
Date: 2023.01.04 17:24:22 IST
Reason: SelfAttested